तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
10.01.2025	वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अवैट प्रस्तुत हुयी। वकील रैस्पो0 का कथन है कि अपील प्रकरण में अपीलाण्ट संख्या 01 राम सिंह का स्वर्गवास दिनांक 13.01.2022 को एवं अपीलाण्ट संख्या 04 खुबीराम का स्वर्गवास अक्टूबर 2021 में हो गया है। जिसकी सूचना रैस्पो0 द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 31.03.2022 को दी गयी थी एवं न्यायालय श्रीमान् ने अपीलाण्ट अभिभाषक को इस बाबत् सूचित भी किया गया। परन्तु अपीलाण्ट ने मृतको के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। तत्पश्चात् रैस्पो0 के अभिभाषक द्वारा पुनः दिनांक 03.06.2022 को न्यायालय में मृतक अपीलाण्ट की सूचना देते हुये, कायम मुकाम कार्यवाही कराने हेतु अपीलाण्ट को निर्देशित करने का निवेदन किया। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 06.11.2024 तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः रैस्पो0 द्वारा दिनांक 03.12.2024 का अवैट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, अपील अपीलाण्ट को इसी स्तर पर जरिये अवैट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट मंदिर के सेवा पूजा करते हैं। यदि उनकी मृत्यु हो गयी हो, तो भी अन्य, मंदिर की सेवा पूजा करने वाले अपीलाण्ट मौजूद हैं। अतः अपील अपीलाण्ट अवैट नहीं की जा सकती है। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील प्रकरण में रैस्पो0, अपीलाण्ट संख्या 01 राम सिंह का स्वर्गवास दिनांक 13.01.2022 को एवं अपीलाण्ट संख्या 04 खूबीराम का स्वर्गवास अक्टूबर 2021 को होना कथन करते हैं। उक्त दोंनों मृतक अपीलाण्ट की सूचना रैस्पो0 द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 31.03.2022 को दी गयी है। जिस पर न्यायालय हाजा ने अपीलाण्ट के अभिभाषक को उक्त मृतक अपीलांट के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा मृतक के वारिसो को रिकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही दिनांक 27.04.2022 तक नहीं की गयी। तत्पश्चात् रैस्पो0 के अभिभाषक द्वारा दिनांक 03.06.2022 को पुनः मृतक दोनों अपीलांट के कायम मुकाम कार्यवाही हेतु अपीलाण्ट को निर्देशित करने का निवेदन किया। परन्तु फिर भी अपीलाण्ट के अभिभाषक द्वारा आदिनांक तक लगभग 2 साल 6 माह का समय निकल जाने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। बल्कि	

उनका कथन है कि उक्त अपीलाण्ट मंदिर की सेवा पूजा करते हैं। अतः उनके कोई वारिस नहीं है। परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मृतको के कोई वारिस नहीं है। इसके अलावा अपील मीमो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील मूर्ति मंदिर की ओर से कुल 14 ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत की गयी है एवं एक मंदिर में इतने पुजारी होना सत्यभाषी नहीं माना जा सकता। यदि तर्क के लिये मृतक अपीलाण्टो को पुजारी होना एवं उनके कोई वारिस नहीं होना मान भी लिया जावें, तो भी अपीलाण्ट को मृतक व्यक्तियों के नाम के सामने फौत शब्द अंकित कराने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानो अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये थी, जो नहीं की गयी है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपीलाण्ट अपनी अपील के संचालन में घोर लापरवाह रहे हैं एवं स्वयं की लापरवाही के रहते अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता क्षीर्ण होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर जरिये अवैट खारिज की जाती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट जरिये अवैट खारिज की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर